

कार्यालय, हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।

पत्रांक: 1207/महा0-1(क)मान0/हरि0/R.S.-06/12/2017-18

दिनांक: 10 जुलाई, 2017

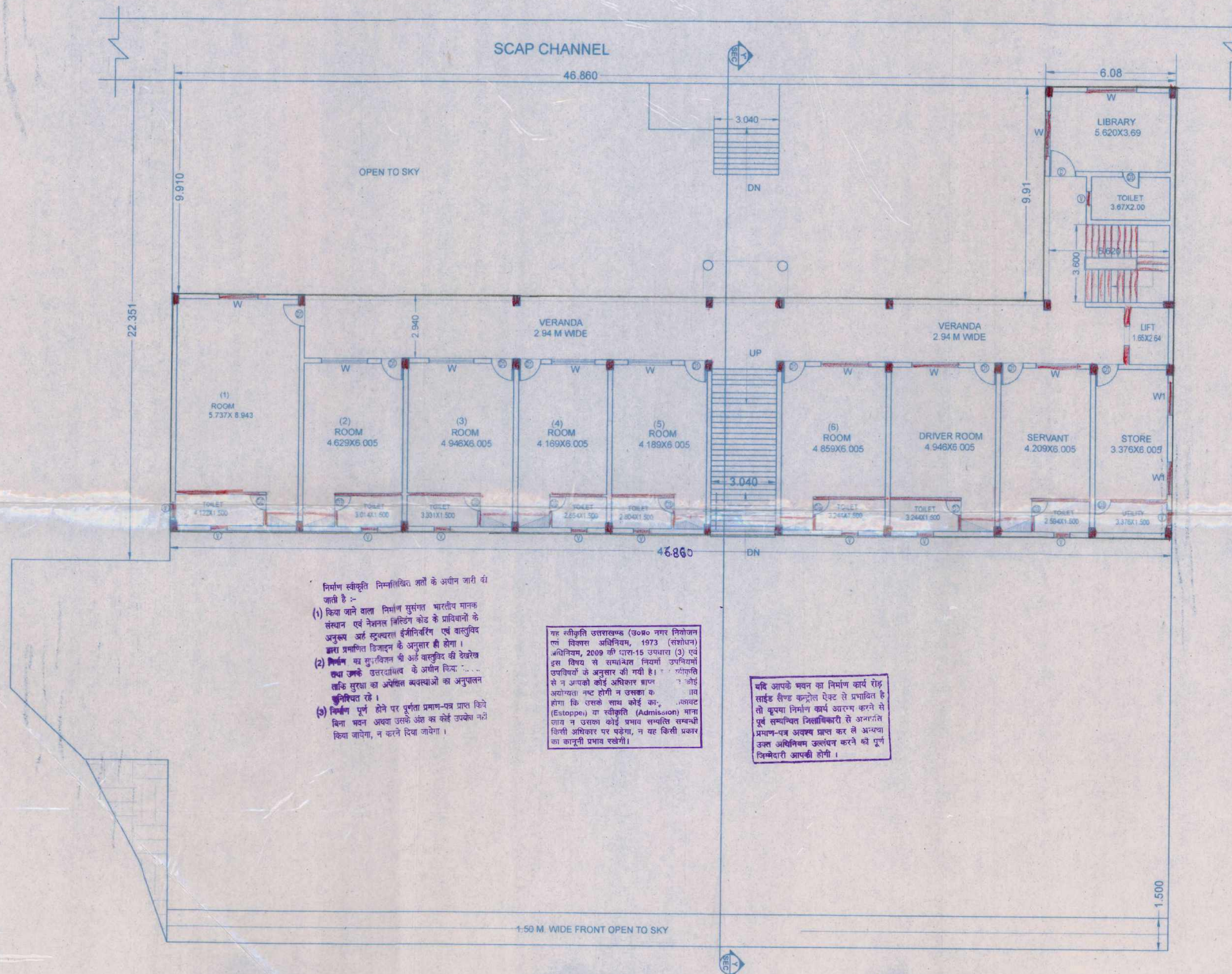
विषय:-/ उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा-14 व 15 के अधीन मानचित्र अनुज्ञा।

मै0 प्रसाद हैरीटेज प्रोजेक्ट प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्री सिद्धार्थ प्रसाद पुत्र स्व0 श्री गोविन्द प्रसाद,
निरन्जनी अखाड़ा रोड, श्रवणनाथ नगर,
लाहौर हाउस, जिला-हरिद्वार।

आपके प्रार्थनापत्र दिनांक 18.04.2017 के सन्दर्भ में आपका प्रस्तावित खसरा मौहल्ला/ग्राम/कालोनी, निरन्जनी अखाड़ा रोड, श्रवणनाथ नगर, लाहौर हाउस, जिला-हरिद्वार जिसका भूखण्ड क्षेत्रफल 1943.72 वर्ग मीटर व कवर्ड क्षेत्रफल 1066.00 वर्ग मीटर, जोकि (G + 1) तल में प्रस्तावित है, "गैस्ट हाऊस" निर्माण का संलग्न मानचित्र निम्नांकित प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत किया जाता है:-

- 1- यह कि उत्तराखण्ड शासन के विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या: 307/XXXvi(03)/2011/55(1)/2011 दिनांक 04.10.2011, उत्तराखण्ड सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना XXXvi(03)G/2011, दिनांक 31.10.2011 जो कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।
- 2- यह कि स्थलानुसार तकनीकी जाँच सम्बन्धित क्षेत्रीय अभियन्ता द्वारा की जायेगी। तकनीकी रूप से भवन उपविधि/उपनियमों/शासनादेशों का उल्लंघन करने अथवा शपथ-पत्र में की गयी धोषणा को असत्य पाये जाने पर आवेदक एवं मानचित्रकार/आर्किटेक्ट के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- प्रश्नगत स्वीकृति सिर्फ संलग्न मानचित्र पर शपथ-पत्र के आधार पर प्रदान की जा रही है। इस स्वीकृति से किसी अन्य शासकीय विभाग, निकाय आदि की अनापत्ति/सहमति नहीं मानी जायेगी। किसी अन्य शासकीय विभाग, निकाय आदि से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना एवं उनसे सम्बन्धित प्राविधानों आदि के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी, प्राधिकरण इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगी। यदि किसी विभाग से आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रश्नगत मानचित्र की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
- 4- यह कि मानचित्र स्वीकृति के दिनांक से पाँच वर्ष तक वैध है उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
- 5- मानचित्र की स्वीकृति से शासकीय विभाग से स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार प्रभावित नहीं होते हैं।
- 6- मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा। प्रयोजन में परिवर्तन होने पर पूरा निर्माण अनाधिकृत माना जायेगा।
- 7- यदि भविष्य में किसी विकास कार्य हेतु विकास व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा तथा उक्त क्षेत्र के विकास से सम्बन्धित किसी परियोजना विकास कार्य हेतु अतिरिक्त विकास शुल्क बिना किसी आपत्ति के जमा करना होगा ताकि उक्त क्षेत्र से प्राप्त विकास शुल्क से ही उक्त क्षेत्र का विकास कार्य सम्पादित कराया जा सके।
- 8- जो क्षेत्र विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगा वहाँ पर शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
- 9- दरवाजे तथा खिड़कियां इस तरह से लगाये जायें कि वह जब खुलें तो उसके पल्ले सरकारी भूमि या सड़क की ओर न बढ़ें व किसी अन्य भवन की रोशनी व हवा को प्रभावित न करते हों।
- 10- बिजली की लाईन से 05 फिट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

- 11- स्वीकृत मानचित्र की एक प्रति सदैव निर्माण स्थल पर रखनी होगी ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण स्वीकृत मानचित्र स्पेशीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन/भूखण्ड के स्वामित्व की जिम्मेदारी भी आवेदक की होगी।
- 12- सड़क, सर्विस लेन तथा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखा जायेगा तथा गन्दे पानी के निकास की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- 13- निर्माण कार्य समाप्त होने के तीन माह के अन्दर आप निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार पूरा होने के पूर्णता का प्रमाण-पत्र प्राधिकरण से प्राप्त करें। तदोपरान्त ही भवन को प्रयोग में लायें अन्यथा स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।
- 14- निर्माण के अन्दर यदि कोई वृक्ष आता है तो उसको काटने से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।
- 15- पानी की निकासी के लिए बेंड छोड़ना होगा।
- 16- यदि अनुमति प्राप्त करने के बाद किसी भी समय उपाध्यक्ष अथवा उसके अधिकृत इस बात से सन्तुष्ट हैं कि उक्त अनुमति तथ्यों को छुपाकर अथवा फर्जी एवं जाली तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की है तो उक्त अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उक्त अनुमति को निरस्त कर सकते हैं व उक्त मानचित्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण अवैध माना जायेगा।
- 17- इस मानचित्र की स्वीकृति को मानचित्र के स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा और किसी न्यायालय में केवल मानचित्र को मू-स्वामित्व का प्रमाण नहीं माना जायेगा।
- 18- सीलिंग भूमि, नजूल भूमि अथवा अन्य सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 19- रोड वाईडनिंग के क्षेत्र में बाउण्ड्रीवाल अथवा सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 20- भवन निर्माण के समय भूकम्प व सुरक्षात्मक तकनीकी प्रयोग में लाना अनिवार्य होगा तथा इसकी समस्त जिम्मेदारी निर्माणकर्ता की होगी।
- 21- भवन के खुले क्षेत्र एवं अग्र भाग में नियमानुसार पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
- 22- रेनवाटर हार्वेस्टिंग्स व सीवर व्यवस्था का प्राविधान नियमानुसार करना होगा।
- 23- निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड जल संस्थान का अनापत्ति प्राप्त कर प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।
- 24- सीवर एवं ड्रेनेज का पानी नदी में नहीं छोड़ा जायेगा इस हेतु शपथ प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 25- कार्य पूर्ति का प्रमाणपत्र लिया जाना आवश्यक होगा। प्रमाणपत्र लेने के उपरान्त भवन को उपयोग में लाया जायेगा।
- 26- रेनवाटर हार्वेस्टिंग टैंक का निर्माण आवश्यक होगा जोकि प्रस्तावित मानचित्र में दर्शाया गया है। उसमें कोई भी विचलन बिना स्वीकृति से नहीं किया जायेगा। इस आशय का शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 27- पूर्व निर्मित निर्माण में स्वीकृत मानचित्र से भिन्न परिवर्तन मान्य नहीं किया जायेगा एवं कमरों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
- 28- गंगा प्रदूषण नियन्त्रण इकाई, अग्निशमन विभाग, सिंचाई विभाग व नगर निगम का अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ करना होगा।
- 29- आवेदक द्वारा स्वीकृत निर्माण राज्य सरकार द्वारा अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर की निगरानी में निर्माण कराया जायेगा। इस आशय का शपथपत्र देना होगा।
- 30- आवेदक द्वारा उक्त बिन्दु संख्या 01 से 06 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन करने हेतु शपथपत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 31- उपरोक्त शर्तों का पालन न करने की दशा में दी गई स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।



- निर्माण स्वीकृति निर्माण शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-
- (1) किया जाने वाला निर्माण सुरंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार अर्ह स्वरूपत इंगीनियरिंग एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
 - (2) निर्माण का सुपरव्जन्ट भी अर्ह वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन होगा।
 - (3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किये बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा, न करने दिया जायेगा।

यदि आपकी स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस नियम से सम्बंधित नियमों उपनियमों उपविधियों के अनुसार की गयी है।

यदि आपकी स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस नियम से सम्बंधित नियमों उपनियमों उपविधियों के अनुसार की गयी है।

यदि आपकी स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस नियम से सम्बंधित नियमों उपनियमों उपविधियों के अनुसार की गयी है।

यदि आपकी स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस नियम से सम्बंधित नियमों उपनियमों उपविधियों के अनुसार की गयी है।

OLD EXIST. STRENGTHENING & RENOVATION / ALTERATION
AT LOWER GROUND FLOOR PLAN LEVEL -1 (1:100)

FOR OFFICE USE :

मानचित्र सं. 1207
मानचित्र सं. 1207 में उल्लेखित शर्तों के साथ निर्माण किया जा रहा है। उक्त अनुशासन इस मानचित्र का अभिन्न अंग है।

मानचित्र सं. 1207-18
भवन निर्माण एवं विकास
उपविधि/विनियम-2099, आवास
विभाग उत्तराखण्ड शासन के
अधीन जाँच की गयी। मानचित्र
अनुशासन निर्गत करने की अनुशंसा
की जाती है।
सहायक अभि०

मानचित्र स्वीकृत

हरीश्वर-रुड़की विद्युत प्राधिकरण
हरिद्वार

अधिकांशी क्षमियता
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

FIRE INDEX PLAN :-

SR. NO.	ITEM	SIGN.
1.	FIRE EXTINGUISHER	☒ F.E.
2.	HOSE REEL	☒ H.R.
3.	WET RISER	
4.	DOWN COMER	
5.	MANUAL FIRE ALARM	
6.	AUTOMATIC FIRE ALARM	
7.	OVER HEAD WATER TANK	

SPECIFICATIONS :

1. CEMENT CONC. IN FOUNDATION
2. 35 MM. TH. D.P.C. AT PLINTH.
3. 35 MM. TH. FLOOR FINISH OVER P.C.C. BASE
4. FIRST CLASS BRICKWORK IN CEMENT MORTAR PLASTER ON CEILING (1:3) & WALLS (1:5)
5. TILE FINISH IN BATH, W.C. & KITCHEN
6. DOOR & WINDOW FRAME WORK & PANEL OF WOODEN SHISHAM
7. ELECTRICAL GOODS WILL BE USED OF HAVELLS
8. WATER SUPPLY & PLUMBING WORK WILL BE OF FINOLEX MAKE

CERTIFICATE :-
THIS IS TO BE CERTIFIED THAT THE BUILDING PLANS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYE LAWS OF H.D.A. HARIDWAR AND URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973 ALSO ALL THE PRECAUTION REGARDING EARTH QUAKE HAVE BEEN INCORPORATED IN THE BUILDING DESIGN.

INDEX :-
EXIST. SHOW IN COLORS
PROPOSED SHOW IN COLORS

PROJECT :-

OLD EXISTING STRENGTHENING/RENOVATION/ ALTERATION & PROPOSED GUEST HOUSE BUILDING PLAN FOR MS PRASAD HERITAGE PROJECT PVT. LTD. DIRECTOR SHRI SIDHARTH PRASAD S/O LATE SHRI GOVIND PRASAD AT NIRANJANI AKHARA ROAD, SARVAN NATH NAGAR, LAHORE HOUSE DISTT. - HARIDWAR (U. K.)

Signy Sharma



SIGN. OF APPLI. SIGN. OF ARCHITECT

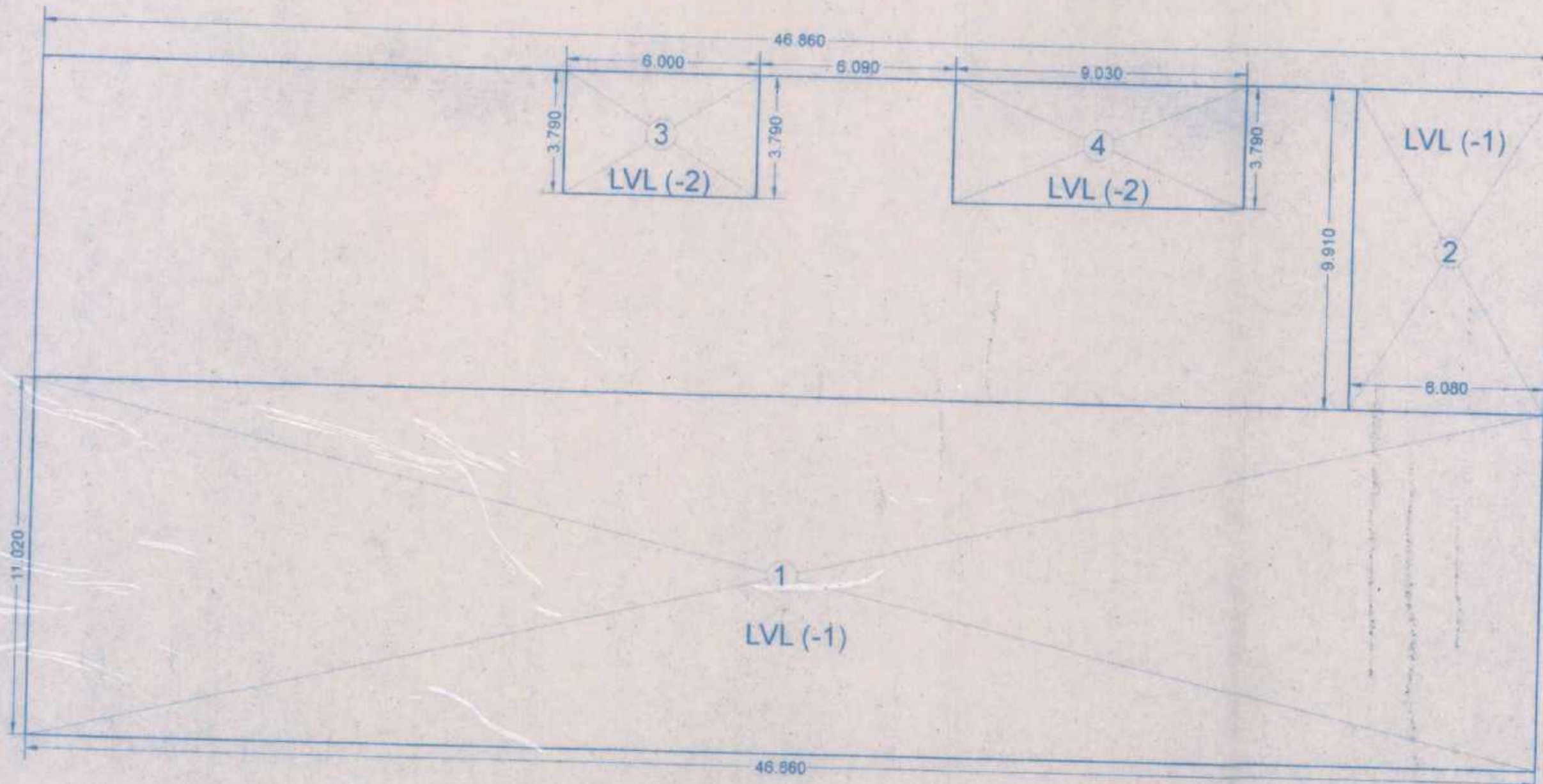
DRAWING TITLE:
LOWER GROUND LVL (-1) PLAN

NORTH: E
N
W
S
DESIGNED BY: AR. DEEPAK MAURYA
DEALT BY: HIMANSHU
CHECKED BY: P. MAURYA
DATE: 24-05-2017
SCALE: 1:100

ARCHITECTS & ENGINEERS:
ACCURATE & ASSOCIATES INFRA PVT. LTD.

ARCHITECTS, ENGINEERS & INTERIORS
DADU BAGH, KANKHAL, HARIDWAR,
PHONE: 01334-245175, 9837063678
EMAIL: accurate@gmail.com
WEB: www.accurateassociates.co.in

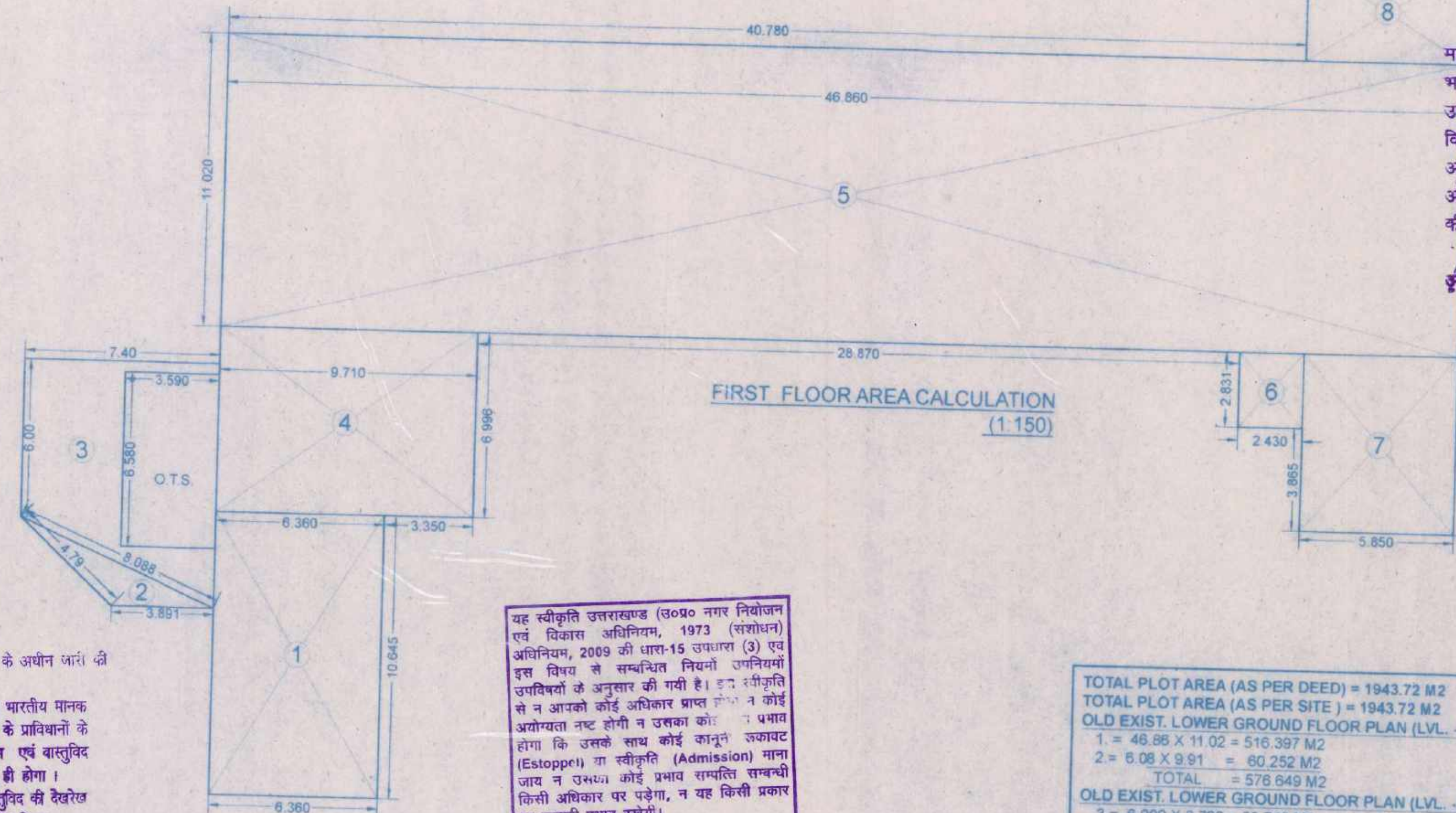
SHEET : 5/8 DRG. NO. : LAHORE HOUSE/SUBMISSO/18-02/102/2017



OLD EXIST. AT LOWER GROUND FLOOR AREA CALCULATION
(1:150)

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

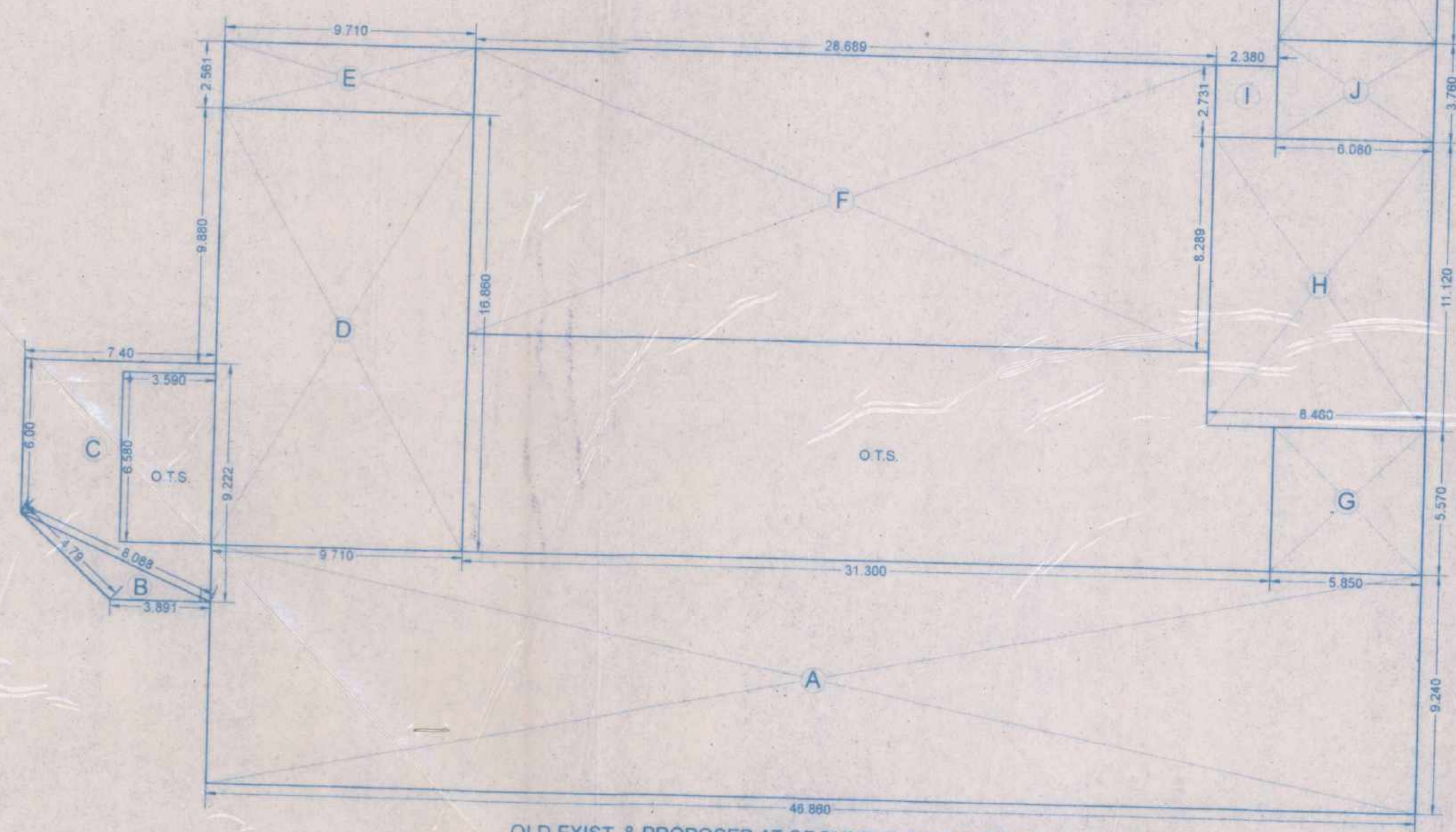
- (1) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार होना।
- (2) निर्माण का सुरक्षित एवं वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। सुरक्षा का अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा उसके अंतर्गत कोई उपाय नहीं किया जायेगा, न करने का निर्देश दिया जायेगा।



FIRST FLOOR AREA CALCULATION
(1:150)

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (सोरो नगर निगम) एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस विधय से सम्बंधित नियमों के अन्तर्गत दी गई है। इस स्वीकृति से न आवेको कोई अधिकार प्राप्त होगा न कोई अयोग्यता नष्ट होगी न उत्पन्न कोई नुकसान होगा कि उसके साथ कोई कानून उल्लंघन (Estopper) या स्वीकृति (Admission) माना जाये न उसका कोई प्रभाव सम्बंधित सम्बंधी किसी अधिकार पर पड़ेगा, न यह किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव रखेगा।

यदि आपके भवन का निर्माण कार्य रोड साईड लैंड कांट्रोल रेयर से प्रभावित है तो कृपया निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बंधित जिलाधिकारी से अनुरोध प्रमाण-पत्र अथवा प्रारंभ कर ले अन्यथा उक्त अधिनियम उल्लंघन करने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।



OLD EXIST. & PROPOSED AT GROUND FLOOR AREA CALCULATION
(1:150)

FOR OFFICE USE :

मानचित्र सं. 1207
दिनांक 10/11/22 को उपस्थित हस्तों के साथ विगत किया
का रहा है। अतः अनुसंधान इस मानचित्र का अभिलेख अंतर्गत है।

मानचित्र सं. 1207/12/2017-18

मानचित्र स्वीकृत

भवन निर्माण एवं विकास
अधिनियम-2099, आवास
विभाग उत्तराखण्ड शासन के
अधीन जाँच की गयी। मानचित्र
अंशदा निर्माण करने की अनुमति
की जाती है।

कुमार अभिषेक सहायक अभिषेक

अधिसूचना अधिनियम
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

FIRE INDEX PLAN

NO.	ITEM	SIGN
1.	FIRE EXTINGUISHER	FE
2.	HOSE REEL	HR
3.	WET RISER	
4.	DOWN COMER	
5.	MANUAL FIRE ALARM	
6.	AUTOMATIC FIRE ALARM	
7.	OVER HEAD WATER TANK	

SPECIFICATIONS :

1. CEMENT CONC. IN FOUNDATION
2. 35 MM TH. D.P.C. AT PLINTH.
3. 35 MM TH. FLOOR FINISH OVER P.C.C. BASE
4. FIRST CLASS BRICKWORK IN CEMENT MORTAR
5. PLASTER ON CEILING (1:3) & WALLS (1:5)
6. TILE FINISH IN BATH, W.C. & KITCHEN
7. DOOR & WINDOW FRAME WORK & PANEL OF WOODEN SHISHAM
8. MILD STEEL IN R.C.C. WORK WILL BE TATA/SAIL
9. ELECTRICAL GOODS WILL BE USED OF HAVELLS
10. WATER SUPPLY & PLUMBING WORK WILL BE OF FINOLEX MAKE

CERTIFICATE

THIS IS TO BE CERTIFIED THAT THE BUILDING PLANS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYE LAWS OF H.O.A. HARIDWAR AND URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT 1987. ALSO ALL THE PRECAUTION REGARDING EARTH QUAKE HAVE BEEN IN CORPATED IN THE BUILDING DESIGN.

INDEX :

EXIST. SHOW IN COLORS
PROPOSED SHOW IN COLORS

PROJECT :

OLD EXISTING STRENGTHENING/RENOVATION/ ALTERATION & PROPOSED GUEST HOUSE BUILDING PLAN FOR M/S PRASAD HERITAGE PROJECT PVT. LTD. DIRECTOR SHRI SIDDHARTH PRASAD S/O LATE SHRI GOVIND PRASAD AT NIRANJANI AKHARA ROAD, SARVAN NATH NAGAR, LAHORE HOUSE DISTT. - HARIDWAR (U. K.)

SIGN. OF APPLI.

SIGN. OF ARCHITECT

DRAWING TITLE:
AREA CALCULATION

NORTH:	DESIGNED BY :	AR DEEPAK MAURYA
E	DEALT BY :	HIMANSHU
N	CHECKED BY :	P. MAURYA
S	DATE	24-05-2017
W	SCALE	1:150

ARCHITECTS & ENGINEERS:

ACCURATE & ASSOCIATES INFRA PVT. LTD.

ARCHITECTS ENGINEERS & INTERIORS
DADU BAGH, KANKHAL, HARIDWAR
PHONE : 01334-245175 9837063678
EMAIL: accurate@gmail.com
WEB : www.accurateassociates.co.in

SHEET :

DRG. NO. :
LAHORE HOUSE/SUBMISSION/R-02/102/2017

TOTAL PLOT AREA (AS PER DEED) = 1943.72 M²
TOTAL PLOT AREA (AS PER SITE) = 1943.72 M²
OLD EXIST. LOWER GROUND FLOOR PLAN (LVL. -1)
1 = 46.86 X 11.02 = 516.397 M²
2 = 6.08 X 9.91 = 60.252 M²
TOTAL = 576.649 M²

OLD EXIST. LOWER GROUND FLOOR PLAN (LVL. -2)
3 = 6.00 X 3.760 = 22.740 M²
4 = 9.030 X 3.790 = 34.223 M²
TOTAL = 56.963 M²

OLD EXISTING COVERED AREA AT GROUND FLOOR
A = 46.86 X 9.240 = 432.986 M²
B = 3.891 X 4.79 X 8.088/2 = 8.384
C = 7.40 X 8.00 X 9.222/2 = 59.321 M²
D = 5.710 X 10.360 = 59.110 M²
E = 5.850 X 5.570 = 32.584 M²
F = 8.460 X 11.120 = 94.075 M²
G = 6.080 X 3.76 = 22.850 M²
TOTAL = 808.869 M²
O.T.S. DEDUCTION = 6.98 X 3.59 = 25.058 M²
OLD EXIST. COV. AREA AT G.F. = 783.808 M²

OUTER AREA IN F.S.B. DEDUCTION
A = 46.86 X 8.50 = 398.31 M²
EXTRA LOWER GROUND FLOOR AREA
AREA OF E = 9.710 X 2.561 = 24.867 M²
AREA OF F = 28.689 X 11.020 = 316.152 M²
AREA OF I = 2.380 X 2.731 = 6.498 M²
AREA OF K = 6.080 X 8.881 = 53.996 M²
TOTAL = 401.514 M²

TOTAL COVD. AREA AT GROUND FLOOR =
(OLD EXIST. COV. AREA AT G.F. + EXTRA COVD. AT LOWER GROUND LVL. (-1) - COVD. AREA AT LVL. -2)
= (783.808 + 401.514 + 56.963)
= (1185.322 + 56.963) - 398.310
= (1242.285 - 398.310)
= 843.975 M²

G. COVERAGE = 41.636 %
OLD EXIST. COV. AREA AT F.F. =
(1) = 6.36 X 10.645 = 67.702 M²
PROPOSED COVD. AREA AT F.F. =
(2) = 3.891 X 4.79 X 8.088/2 = 8.384
(3) = 7.40 X 8.00 X 9.222/2 = 59.321 M²
(4) = 5.710 X 6.896 = 67.931 M²
(5) = 46.86 X 11.02 = 516.397 M²
(6) = 2.43 X 2.831 = 6.879 M²
(7) = 5.850 X 6.896 = 39.171 M²
(8) = 6.080 X 3.760 = 22.850 M²
TOTAL = 715.889 M²

STAIR CASE
4.520 X 2.745 = 12.407 M²
5.160 X 3.635 = 18.756 M²
5.820 X 3.60 = 20.932 M²
TOTAL = 51.395 M²
PROPOSED COV. AREA AT F.F. =
(715.889 - 51.395)
= 664.494 M²
OLD EXIST. INNER SET BACK AREA AT F.F. =
= 6.360 X 8.500 = 54.06 M²

FOR PARKING CALCULATION :-
TOTAL COVD. AREA AT (L.G.F. (-2) + L.G.F. (-1) + G.F. + F.F.) - STAIRCASE AT L.G.F. LVL. (-1) =
(56.963 + 576.649 + 1185.322 + 732.196) - 20.232
= 2530.898 M²

F.A.R. AREA CALCULATION
= (TOTAL - COVD. AREA IN SETBACK)
= (2530.898 - 398.31 - 54.06) M²
= 2078.528 M²

F.A.R. = 1.069

FOR OFFICE USE :

मानचित्र अनुमति सं. 1207
दिनांक 10/11/17 में उत्तराखण्ड शासन के साथ विवादित क्षेत्र
का रहा है। उपर अनुमतिपत्र इस मानचित्र का अभिन्न अंग है।

मानचित्र सं. R.S. 26/12/2017-18

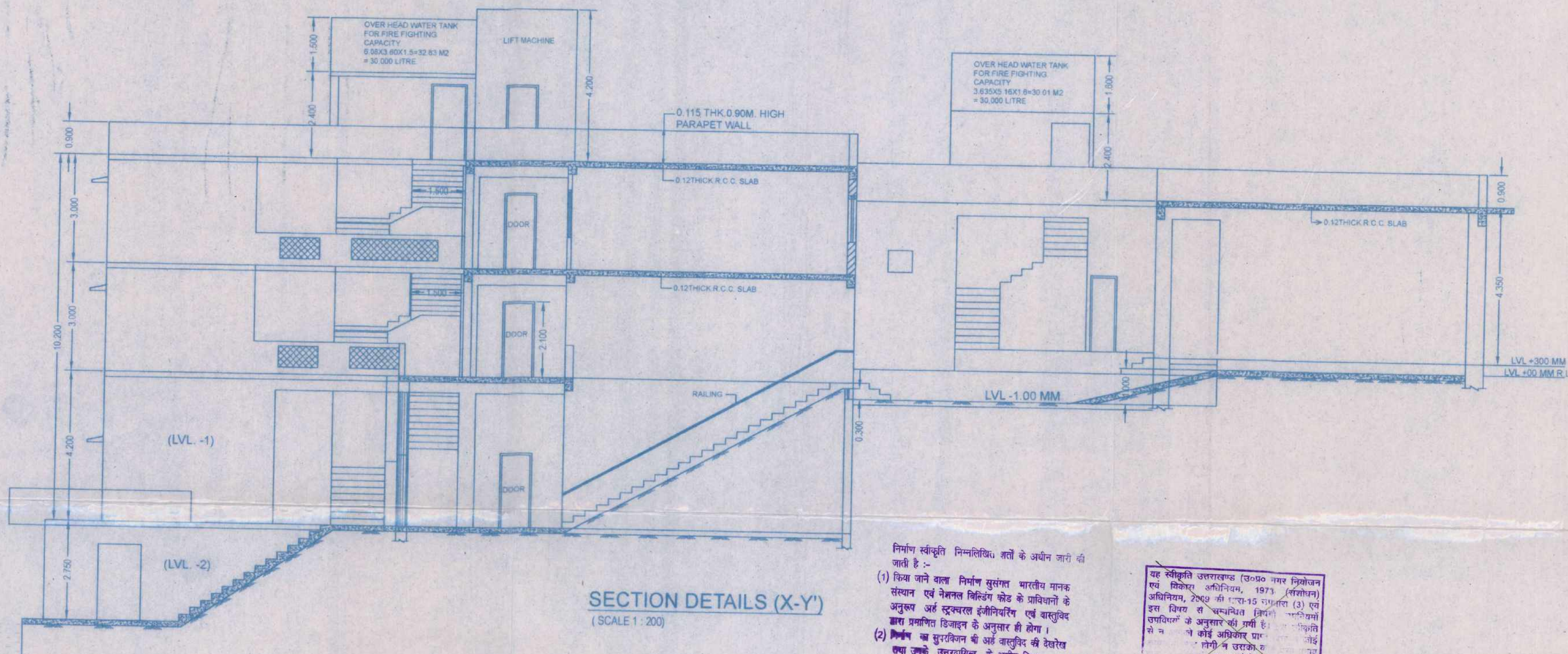
भवन निर्माण एवं विकास
उपविधि/विनियम-2099, आवास
विभाग उत्तराखण्ड शासन के
अधीन जाँच की गयी। मानचित्र
अनुमति निर्गत करने की अनुमति
की जाती है।

अवर अभि० 07/11/17
सहायक अभि० 07/11/17

मानचित्र स्वीकृत

श्रीधर-रुक्मी निवास प्राधिकरण
हरिद्वार

अविभाजी अभियन्ता
हरिद्वार-रुक्मी विकास प्राधिकरण
हरिद्वार



SECTION DETAILS (X-Y)
(SCALE 1 : 200)

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस विभाग से सम्बन्धित नियमों एवं विनियमों के अनुसार की गयी है। इस स्वीकृति से नगर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नगर को इस स्वीकृति के अन्तर्गत (Estoppel) या स्वीकृति (Admission) माना जाय न उरधन कोई प्रभाव सम्पत्ति सम्बन्धी किसी अधिकार पर पड़ेगा, न यह किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव रखेगी।

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

- (1) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार अर्द्ध स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एवं वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
- (2) निर्माण का सुरक्षित क्षेत्र की वास्तुविद् की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। यदि सुरक्षा का अपेक्षित व्यवसायों का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णतः प्रमाण-पत्र प्राप्त करने बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जायेगा, न करने दिया जायेगा।

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस विभाग से सम्बन्धित नियमों एवं विनियमों के अनुसार की गयी है। इस स्वीकृति से नगर को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। नगर को इस स्वीकृति के अन्तर्गत (Estoppel) या स्वीकृति (Admission) माना जाय न उरधन कोई प्रभाव सम्पत्ति सम्बन्धी किसी अधिकार पर पड़ेगा, न यह किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव रखेगी।

यदि आपके भवन का निर्माण कार्य रोड साईड लेण्ड कंट्रोल ऐक्ट से प्रभावित है तो कृपया निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुरोधित प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर ले अन्यथा उक्त अधिनियम उल्लंघन करने की पूर्ण ज़िम्मेदारी आपकी होगी।

FIRE INDEX PLAN :-

SR. NO.	ITEM	SIGN.
1	FIRE EXTINGUISHER	FE
2	HOSE REEL	H.R.
3	WET RISER	
4	DOWN COMER	
5	MANUAL FIRE ALARM	
6	AUTOMATIC FIRE ALARM	
7	OVER HEAD WATER TANK	

SPECIFICATIONS :

1. CEMENT CONC. IN FOUNDATION
2. 35 MM. TH. D.P.C. AT PLINTH
3. 35 MM. TH. FLOOR FINISH OVER P.C.C. BASE
4. FIRST CLASS BRICKWORK IN CEMENT MORTAR PLASTER ON CEILING (1:3) & WALLS (1:5)
5. TILE FINISH IN BATH, W.C. & KITCHEN
6. DOOR & WINDOW FRAME WORK & PANEL OF WOODEN SHISHAM
7. MILD STEEL IN R.C.C. WORK WILL BE TATA SAIL
8. ELECTRICAL GOODS WILL BE USED OF HAVELLS
9. WATER SUPPLY & PLUMBING WORK WILL BE OF FINOLEX MAKE

CERTIFICATE

THIS IS TO BE CERTIFIED THAT THE BUILDING PLANS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYE LAWS OF H.D.A. HARIDWAR AND URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973 ALSO ALL THE PRECAUTION REGARDING EARTH QUAKE HAVE BEEN IN CORPATED IN THE BUILDING DESIGN.

INDEX:-

EXIST. SHOWN IN COLORS +
PROPOSED SHOWN IN COLORS +

PROJECT:

OLD EXISTING STRENGTHENING/RENOVATION/ ALTERATION & PROPOSED GUEST HOUSE BUILDING PLAN FOR M/S PRASAD HERITAGE PROJECT PVT. LTD. DIRECTOR SHRI SIDDHARTH PRASAD S/O LATE SHRI GOVIND PRASAD AT NIRANJANI AKHARA ROAD, SARVAN NATH NAGAR, LAHORE HOUSE DISTT. - HARIDWAR (U. K.)

SIGN. OF APPLI.

SIGN. OF ARCHITECT

DRAWING TITLE:

SECTION

NORTH:	DESIGNED BY: AR. DEEPAK MAURYA
E	DEALT BY: HIMANSHU
N	CHECKED BY: P. MAURYA
S	DATE: 24-05-2017
W	SCALE: 1:200

ARCHITECTS & ENGINEERS:

ACCURATE & ASSOCIATES INFRA PVT. LTD.

ARCHITECTS, ENGINEERS & INTERIORS
DADU BAGH, KANKHAL, HARIDWAR.
PHONE:- 01334-246175, 9637063978
EMAIL:- associates.accurate@gmail.com
WEB - www. accurateassociates.co.in

SHEET :

DRG. NO. :

LAHORE HOUSE/SUBMISSION/R-02/102/2017

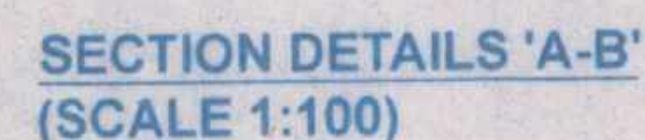
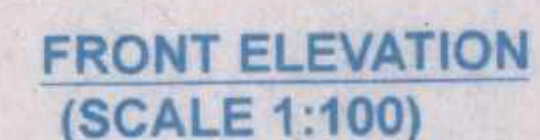
C.L

⑦

मानचित्र सं० R-06/12/2017-18
भवन निर्माण एवं विकास
उपविधि/विनियम-२०११, आवास
विभाग उत्तराखण्ड शासन के
अधीन जाँच की गयी। मानचित्र
अनुज्ञा निर्गत करने की अनुशंसा
की जाती है।
26/07/17
सहायक अभि०

सचिव
हरिद्वार-स्थानी विद्यालय प्राधिकरण
हरिद्वार

अधिकासी अभियन्ता
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार



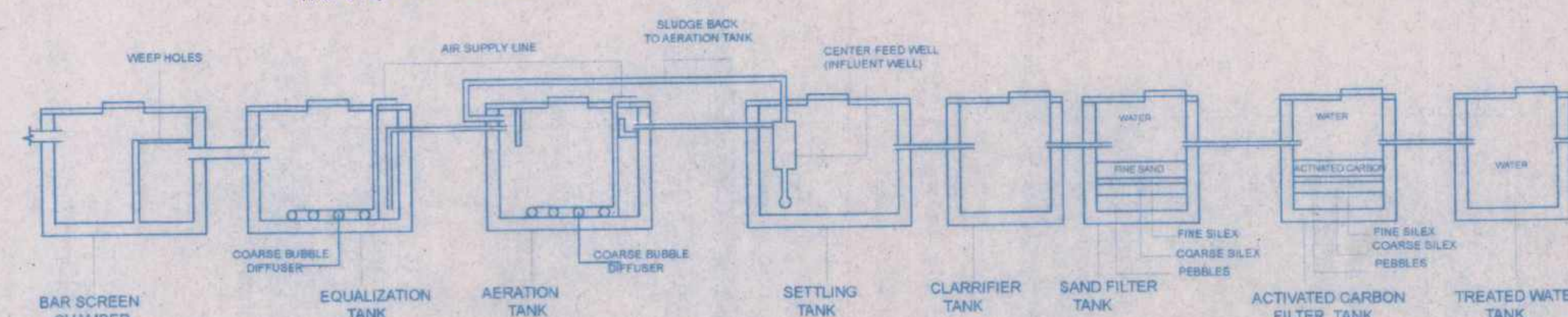
(1) क्या जानें वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संख्यान एवं नेशनल विडिंग कोड के प्राविधानों के अनुसार अर्ह इन्फ्रस्ट्रक्चर डेवेलपमेंट एवं वस्तुनिष्ठ द्वारा प्राप्तिगत डिजाइन के अनुसार की होगा।

(2) निर्माण कार्य सुरक्षा के अतिरिक्त की देखरेख तथा उनके सततपालन के अंगीन किया जायेगा ताकि सुरक्षा का अमेसित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

(3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा तथा प्रकन अवस्था उसके अंश का अर्ह उपयोग नहीं किया जायेगा, न कराने दिया जायेगा।

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (उप्र०) नगर निगमों
एवं विकास अभियान, 1973 (संशोधन)
अभियान, 2009 की प्रारंभ 15 उपग्रहों (3 एवं
इस विषय संस्थागत नियंत्रण उपनिर्माणों
उपनिर्माणों के अनुसार की गयी है। इस प्रकृति
में न आपकी कोई अधिकार प्राप्त है।
अयोग्यता नष्ट होगी न उसका दायरा
होगा कि उसकी साथ कोई कार्य प्रकृति
(Estoppel) या स्वीकृति (Admission) मान
जाय न उसका कोई प्रभाव संस्थागत संस्थागत
किसी अधिकार पर होगा, न यह किसी प्रकार
का कानूनी प्रभाव रखेगी।

यदि आपके ध्वन का निर्माण कार्य रोज़ साईड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट से प्रभावित है तो कृपया निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अनुरोध प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर लें अन्यथा उक्त अधिनियम उल्लंघन करने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।



SEWAGE TREATMENT PLANT SECTION

SPECIFICATIONS :

1. CEMENT CONC. IN FOUNDATION
2. 35 MM. TH. D.P.C AT PLINTH
3. 35 MM. TH. FLOOR FINISH OVER P.C.C. BASE
4. FIRST CLASS BRICKWORK IN CEMENT MORTAR PLASTER ON CEILING (1:3) & WALLS (1:4)
5. TILE FINISH IN BATH, W.C. & KITCHEN
6. DOOR & WINDOW FRAME WORK & PANEL OF WOODEN SHISHAM.
7. MILD STEEL IN R.C.C WORK WILL BE TATA/SAIL.
8. ELECTRICAL GOODS WILL BE USED OF HAVELLS.
9. WATER SUPPLY & PLUMBING WORK WILL BE OF FINOLEX MAKE.

CERTIFICATE
THIS IS TO BE CERTIFIED THAT THE BUILDING PLANS HAVE BEEN PREPARED
ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYE LAWS OF H.D.A, HARIDWAR AND URBAN
PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973 ALSO ALL THE PRECAUTION REGARDING
EARTH/SHAKE HAVE BEEN INCORPORATED IN THE BUILDING DESIGN.

INDEX:-

EXIST. SHOW IN COLORS

PROPOSED SHOW IN COLORS

PROJECT:
OLD EXISTING STRENGTHENING/RENOVATION/
ALTERATION & PROPOSED GUEST HOUSE BUILDING
PLAN FOR M/S PRASAD HERITAGE PROJECT PVT.
LTD. DIRECTOR SHRI SIDDHARTH PRASAD S/O LA
SHRI GOVIND PRASAD AT NIRANJANI AKHARA
ROAD, SARVAN NATH NAGAR, LAHORE HOUSE
DISTT. - HARIDWAR (U. K.)

Santay Santay

SIGN. OF APPLI.	SIGN. OF ARCHITE
-----------------	------------------

DRAWING TITLE:

SECTION AND ELEVATION

NORTH:	DESIGNED BY: AR. DEEPAK MAU
--------	-----------------------------

E	DEALT BY: HIMANSHU
	CHECKED BY: P. MAURYA

DATE : 24-05-2017

W	SCALE:	1:100
ARCHITECTS & ENGINEERS:		

ARCHITECTS & ENGINEERS,
ACCURATE & ASSOCIATES INFRA PVT LTD

ARCHITECTS, ENGINEERS & INTERIORS

PHONE - 01334-245175, 983706367

WEB - www.accurateassociates.co.in

SHEET :	DRG. NO. :
---------	------------

7/8	LAHORE HOUSE/SUBMISSION/R-02710272017
-----	---------------------------------------

मानचित्र सं. 85-06/12/2017-18
भवन निर्माण एवं विकास
उपविधि/विनियम-2099, आवास
विभाग उत्तराखण्ड शासन के
अधीन जाँच की गयी। मानचित्र
अनुमति निर्गत करने की अनुमति
की जाती है।
संभार अभि०
सहायक अभि०

मानचित्र स्वीकृत,

संयोजक
प्रो. वरुण सिंह प्रसिद्ध
हरिद्वार

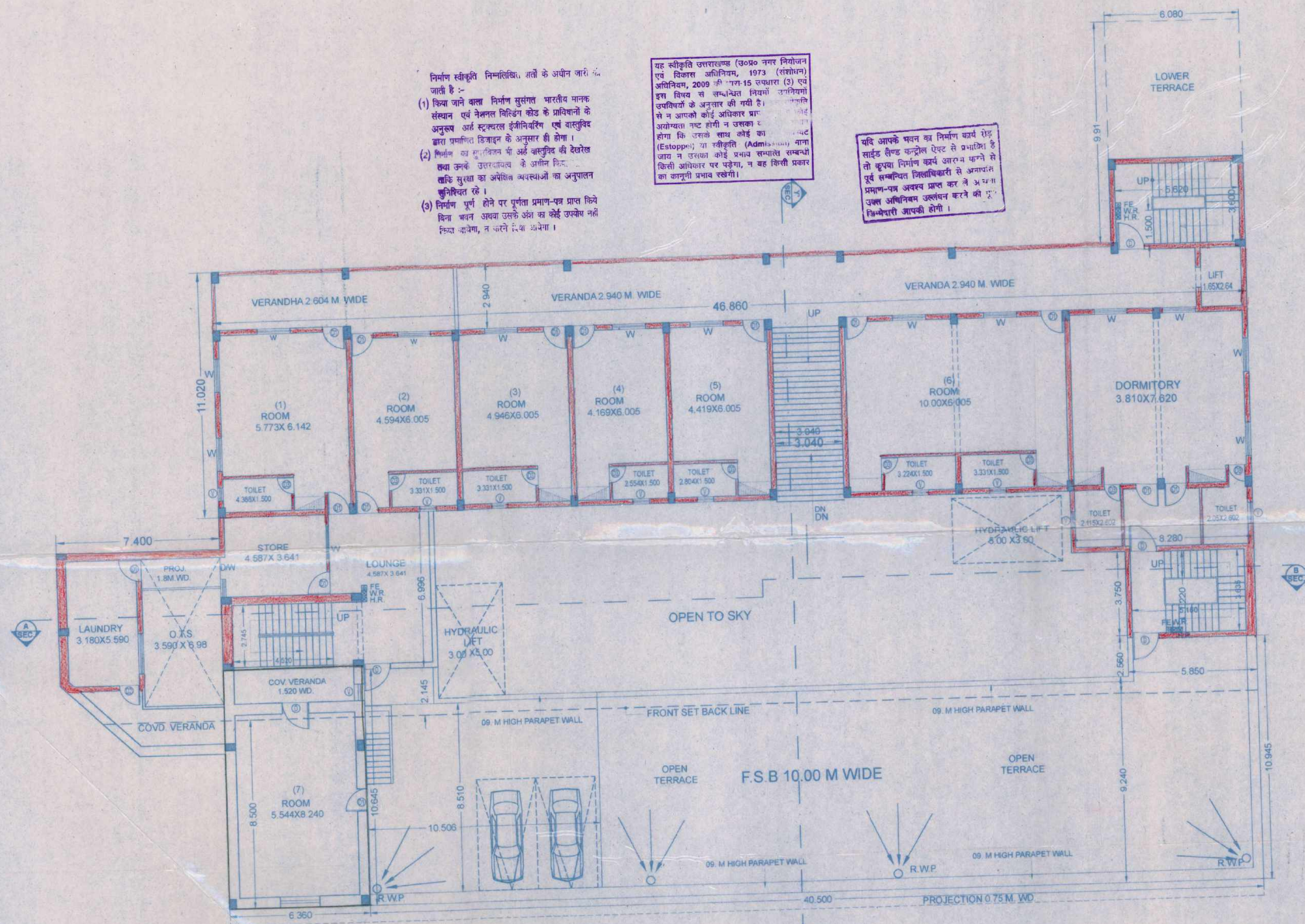
अतिरिक्त अभियंता
हरिद्वार-सड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी की जाती है :-

- (1) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्रावधानों के अनुसार एवं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एवं वास्तुविद द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।
- (2) निर्माण का प्रारम्भ भी अर्ध वास्तुविद की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन होगा। यदि सुरक्षा का अंशित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने बिना भवन अथवा उसके अंश का कोई उपयोग नहीं किया जाएगा, न करने दिया जाएगा।

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (उ०प्र०) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस विषय से सम्बंधित नियमों के अन्तर्गत जारी की गयी है। इस स्वीकृति से न आपको कोई अधिकार प्राप्त होगा कि आप कोई भी कार्य अथवा कार्यवाही अथवा कार्यवाही के अभाव में कोई कार्यवाही (Stoppage) या स्वीकृति (Admission) नामा जाय न उसका कोई प्रभाव संपादन सम्बंधी किसी अधिकार पर पड़ेगा, न यह किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव रखेगी।

यदि आपके भवन का निर्माण कार्य रोड साइड लैंड कंट्रोल ऐक्ट से प्रभावित है तो कृपया निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित निकाधिकारी से अनिवार्य प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त करें। अन्यथा उक्त अधिनियम उल्लंघन करने की दृष्टि से आपकी होगी।



PROPOSED FIRST FLOOR PLAN (1:100)

FIRE INDEX PLAN :-

SR. NO.	ITEM	SIGN.
1.	FIRE EXTINGUISHER	☒ F.E.
2.	HOSE REEL	☒ H.R.
3.	WET RISER	
4.	DOWN COMER	
5.	MANUAL FIRE ALARM	☒
6.	AUTOMATIC FIRE ALARM	☒
7.	OVER HEAD WATER TANK	☒

SPECIFICATIONS :-

1. CEMENT CONC. IN FOUNDATION
2. 35 MM. TH. D.P.C. AT PLINTH
3. 35 MM. TH. FLOOR FINISH OVER P.C.C. BASE
4. FIRST CLASS BRICKWORK IN CEMENT MORTAR PLASTER ON CEILING (1:3) & WALLS (1:5)
5. TILE FINISH IN BATH, W.C., & KITCHEN
6. DOOR & WINDOW FRAME WORK & PANEL OF WOODEN SHISHAM
7. MILD STEEL IN R.C.C. WORK WILL BE TATA/SAIL
8. ELECTRICAL GOODS WILL BE USED OF HAVELLS
9. WATER SUPPLY & PLUMBING WORK WILL BE OF FINOLEX MAKE

CERTIFICATE
THIS IS TO BE CERTIFIED THAT THE BUILDING PLANS HAVE BEEN PREPARED IN ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYE LAWS OF H.D.A. HARIDWAR AND URBAN PLANNING DEVELOPMENT ACT, 1973 ALSO ALL THE PRECAUTION REGARDING EARTH QUAKE HAVE BEEN INCORPORATED IN THE BUILDING DESIGN.

INDEX:-

EXIST. SHOW IN COLORS
PROPOSED SHOW IN COLORS

PROJECT:-

OLD EXISTING STRENGTHENING/RENOVATION/ ALTERATION & PROPOSED GUEST HOUSE BUILDING PLAN FOR M/S PRASAD HERITAGE PROJECT PVT. LTD. DIRECTOR SHRI SIDDHARTH PRASAD S/O LATE SHRI GOVIND PRASAD AT NIRANJANI AKHARA ROAD, SARVAN NATH NAGAR, LAHORE HOUSE DISTT. - HARIDWAR (U. K.)

Signature of Architect
AR. DEEPAK MAURYA

SIGN. OF APPLI. SIGN. OF ARCHITECT

DRAWING TITLE: FIRST FLOOR PLAN

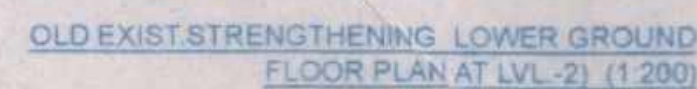
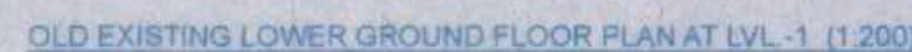
NORTH: E
N
W
S
DESIGNED BY: AR. DEEPAK MAURYA
DEALT BY: HIMANSHU
CHECKED BY: P. MAURYA
DATE: 24-05-2017
SCALE: 1:100

ARCHITECTS & ENGINEERS:

ACCURATE & ASSOCIATES INFRA PVT. LTD.

ARCHITECTS, ENGINEERS & INTERIORS
DADU BAGH, KANKHAL, HARIDWAR
PHONE - 01334-245175, 9837003678
EMAIL-accurateassociates@gmail.com
WEB - www.accurateassociates.co.in

SHEET : 6/8 DRG. NO. : LAHORE HOUSE / SUBMISSION / R-02/102/2017



- (1) क्या अपने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्था एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविकनों के अनुसार अर्ल स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एवं वास्तुविद्द द्वारा प्राप्तिन विज्ञान के अनुसर ही होगा।
- (2) निर्माण के सुपरिक्लिन भी आने वास्तुविद्द की देखरेख तथा कानून के उपरान्तविक के आगिन दिया जाये ताकि सुरक्षा का अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।
- (3) निर्माण पूर्ण होने पर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त किने किना भवन अपना उत्तरदा उत्तर का कोई उपयोग नहीं किया करने, न करने दिया जायेगा।

यह स्वीकृति उत्तराखण्ड (उत्प्रो) नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 (संशोधन) अधिनियम, 2009 की धारा-15 उपधारा (3) एवं इस विषय से सम्बन्धित नियमों उपनियमों उपविधियों के अनुसार की गयी है। इस स्वीकृति से न उत्पन्न कोई अधिकार प्राप्त होगा न कोई अवरोधक पट्ट होगी न उसका कोई भी प्रभाव होगा कि उसके साथ कोई कागज काकापत्र (Estoppel) या स्वीकृति (Admission) माना जाय न उसका कोई प्रभाव सम्पत्ति सम्बन्धी किसी अधिकार पर पड़ेगा, न यह किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव रखेगी।

यदि आपके भवन का निर्माण कार्य रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल ऐक्ट से प्रभावित है तो कृपया निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से अगानि प्रमाण-पत्र अवश्य प्राप्त कर ले अन्यथा उक्त अधिनियम उल्लंघन करने की पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।



मानचित्र सं० RS-06/12/2017-13
 प्रवेश निर्माण एवं विकास
 उपनिधि/विनिधित-2019, आवास
 विभाग उत्तराखण्ड शासन के
 अधीन जाँच की गयी। मानावेत्र
 अनुज्ञा निर्गत करने की अनुशंसा
 की जाती है।
 2018 57/177
 प्रवर अभि० सहायक अभि०

हरिद्वार-लुधियाना विप्लवसुत प्राविकरण
हरिद्वार

अधिसूची अभियन्ता
हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

1. CEMENT CONC. IN FOUNDATION
2. 35 MM. TH. D.P.C. AT PLINTH.
3. 35 MM. TH. FLOOR FINISH OVER P.C.C. BASE
4. FIRST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTAR
5. PLASTER ON CEILING (1:3) & WALLS (1:5)
6. TILE FINISH IN BATH, V.C. & KITCHEN
7. DOOR & WINDOW FRAME WORK & PANEL OF WOODEN SHISHAM.
8. MILD STEEL IN R.C.C. WORK WILL BE TATA/SAIL.
9. ELECTRICAL GOODS WILL BE USED OF RAVELLS
10. WATER SUPPLY & PLUMBING WORK WILL BE OF FINOLEX MAKE.

CERTIFICATE:
THIS IS TO BE CERTIFIED THAT THE BUILDING PLANS HAVE BEEN PREPARED
ACCORDANCE WITH THE BUILDING BYE LAWS OF H.D.A., HARDWAR AND URB
PLANNING DEVELOPMENT ACT,1973 ALSO ALL THE PRECAUTION REGARDING
EARTH QUAKE HAVE BEEN IN CORPATED IN THE BUILDING DESIGN.

INDEX:-
EXIST. SHOW IN COLORS =
PROPOSED SHOW IN COLORS =

PROJECT:
OLD EXISTING STRENGTHENING/RENOVATION/
ALTERATION & PROPOSED GUEST HOUSE BUILDING
PLAN FOR M/S PRASAD HERITAGE PROJECT PVT.
LTD. DIRECTOR SHRI SIDDHARTH PRASAD S/O LATE
SHRI GOVIND PRASAD AT NIRANJANI AKHARA
ROAD, SARVAN NATH NAGAR, LAHORE HOUSE
DISTT. - HARIDWAR (U. K.)

SIGN. OF APPLI.	SIGN. OF ARCHITECT
-----------------	--------------------

DRAWING TITLE:
OLD EXISTING PLAN

NORTH: 	DESIGNED BY: AR. DEEPAK MAURYA
	DEALT BY: HIMANSHU
	CHECKED BY: P. MAURYA
	DATE: 24-05-2017
	SCALE: 1:150

☐ ARCHITECTS & ENGINEERS:

ACCURATE & ASSOCIATES INFRA PVT.LTD.

accurate associates ARCHITECTS, ENGINEERS & INTERIORS
DADU BAGH, KANKHAL HARIDWAR,
PHONE: 01334-245175, 9837063878
EMAIL: associates.accurate@gmail.com
WEB: www.accurateassociates.co.in

SHEET : 1/8	DRG. NO. : LAHORE HOUSE/SUBMISSION/R-02/102/2017
----------------	---

